उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या – ......07....../2018

महादेव मांझी वगै0 बनाम् ओ0एन0जी0सी0

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
13-06-2018	आवेदक महादेव मांझी पिता रामसहाय मांझी वो पतरूस हेम्ब्रोम पिता दिनेश मांझी, ग्राम केरीबन्दा , पो0–हेसागड़ा, थाना– माण्डू, जिला– रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा मौजा– केरीबन्दा, थाना नं0– 124, खाता नं0–8, प्लॉट नं0–62 रकवा– 30 डी0 भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अर्न्तगत ओ0एन0जी0सी0, सी0बी0एम0 परिसंपति बोकारो (प्रथम तला, एच0एस0सी0एल0 भवन नया मोड़ बोकारो) को पट्टे में देनें की अनुमति हेतु आवेदन दायर किया गया है। मौजा– केरीबन्दा, खाता न0– 08 सर्वे खतियान बुधु मांझी वगै0 के नाम से दर्ज है। आवेदन में संलग्न लगान रसीद बुधु मांझी के नाम से मौजा केरीबन्दा, थाना नं0– 124, खाता नं0– 08, प्लॉट नं0 115 से संबंधित है। आवेदकगण से प्राप्त आवेदन एवं संलग्नक कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि खतियानी रैयत एवं जमाबन्दी रैयत के वंशजों के बीच आपसी बटवार नहीं हुआ है और न ही बंटवारा से संबंधित कोई कागजात आवेदकगण के द्वारा दाखिल किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अनुमति हेतु प्रश्नगत भूमि आवेदगण के हिस्से की भूमि है। उक्त परिपेक्ष्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 अर्न्तगत अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन पोषणीय नहीं है। अतः प्रविष्टि के बिन्दु पर प्रश्नगत भूमि से संबंधित अनुमति हेतु प्राप्त आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख भिलेखागार में जमा करें। लेखापित एवं संशाधित 13/6/18 उपायुक्त, रामगढ़। 13/6/18 उपायुक्त, रामगढ़।	